न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 54/2021

प्रार्थी
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, दत्ताणी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
(2) स्वर्गीय श्री गणेशाराम पुत्र धरमाजी, जाति– कोली, निवासी–वास, तहसील– रेवदर, जिला सिरोही के वारिसानः–
2/1. जमनादेवी पत्नि श्री गणेशाराम, जाति– कोली, निवासी– वास, तहसील– रेवदर
2/2. वनाराम पुत्र श्री गणेशाराम, जाति– कोली, निवासी– वास, तहसील– रेवदर
2/3. सोमताराम पुत्र श्री गणेशाराम, जाति– कोली, निवासी– वास, तहसील– रेवदर
2/4. कान्तादेवी पुत्री श्री गणेशाराम पत्नि प्रवीण कुमार, जाति–कोली, निवासी–वास, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थितिः
(1) अधिवक्ता श्री गोविन्द राणा, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 01 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा गणेशाराम पुत्र धरमाजी, जाति– कोली, निवासी– वास के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 24.5.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत दत्ताणी में सरपंच द्वारा पंचायत की आबादी भूमि में जारी पुराने गृह विनियमितिकरण के पट्टों की प्राप्त शिकायत की जांच में ग्राम पंचायत दत्ताणी द्वारा पट्टा संख्या 28 दिनाक 24.05 2017 अनियमित जारी किया जाना पाया गया। यह कि श्री गणेशाराम पुत्र श्री धरमाजी कोली, निवासी–दत्ताणी को पट्टा संख्या 28 दिनांक 24.5.2017 को पुराने गृह के विनियमितिकरण के तहत जारी किया गया है। श्री गणेशाराम के पट्टे में अंकित कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफीट है जिसका भौतिक सत्यापन अनुसार निर्मित क्षेत्रफल शून्य पाया गया। अप्रार्थी संख्याः 1 द्वारा अप्रार्थी संख्याः 2 को नियम विरुद्ध पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा श्री गणेशाराम धरमाजी कोली को पटटा संख्या 28 खाली भूमि का जारी किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) में निर्मित आवास का पट्टा जारी करने का प्रावधान है। यह कि श्री गणेशाराम पुत्र श्री धरमाजी कोली, निवासी दत्ताणी को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व नियम 1996 के नियम 157 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत दताणी द्वारा परिपत्र 23 दिनांक 10.1.2013 एवं अधिसूचना कमांक 135 दिनाक 11.2.2013 की भावना के विपरित अनियमित पटटा जारी कर आर्थिक हानि पहुंचाई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा अप्रार्थी संख्याः 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 24.5.2017 को निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज [illegible] किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस/सम्मन बनाम कायम मुकाम जारी [illegible] निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या [illegible] की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द [illegible] दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:04:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

राणा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या– 1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, दत्ताणी) को नोटिस की तामिल होने पर सुनवाई तिथि 17.12.2021 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, दत्ताणी उपस्थित हुये, उसके बाद अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ व न ही अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस हेतु नियत तिथि 19.12.2023 को प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में दिनांक 19.12.2023 को अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता स्वर्गीय गणेशाराम जी अपने पुश्तैनी गृह में निवासरत थे तथा दिनांक 14.12.2019 को उनकी मृत्यु अपने पुश्तैनी गृह ग्राम वास में हुई थी तथा गणेशारामजी के जीवन काल में अपने पुश्तैनी गृह आवासीय भूमि का पट्टा नियमानुसार ग्राम पंचायत दत्ताणी द्वारा दिनांक 24.5.2017 को जारी किया गया था। गणेशारामजी के पुश्तैनी गृह के उत्तर दिशा में चतरा भलाजी का गृह व दक्षिण दिशा में वेला धरमाजी का घर आया हुआ है तथा ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए गणेशाराम व वेलाराम धरमाजी कोली को ग्राम वास का दिनांक 24.5.2017 को आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया था तथा जांच प्रभारी अधिकारी महोदय (पंचायत), जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही द्वारा मौके पर आकर नहीं की गई है एवं न ही स्वर्गीय गणेशारामजी के जायज वारिसान से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार या कार्यवाही की गई है। आज भी ग्राम वास में स्वर्गीय गणेशारामजी का पुश्तैनी आवास स्थित है। यह कि ग्राम पंचायत दत्ताणी द्वारा प्रारुप 23 क (नियम 157 (1)) में दिनांक 24.5.2017 को आवासीय भूमि का पट्टा गणेशाराम के हक में नियमानुसार जारी किया है तथा पट्टे में यह अंकित किया है कि यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अधीन निम्न लिखित शर्तों पर श्री गणेशराम पुत्र धरमाजी कोली के पक्ष में जारी किया जाता है, जिसमें 1 से 4 शर्तों का उल्लेख है तथा शर्ते नंबर 1 में पूर्वाक्त आवंटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा/पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रारंभ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षों के दौरान सनिर्मित किया गया है, लेकिन प्रभारी अधिकारी (पंचायत), जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही ने पट्टेशुदा भूमि का भौतिक सत्यापन मौके पर आकर नहीं किया है तथा गलत रिपोर्ट के आधार पर निगरानी आवेदन पेश किया है। यह कि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने गणेशाराम पुत्र धरमाजी को पक्षकार बनाया है, जबकि गणेशाराम पुत्र धरमाजी कोली की दिनांक 14.12.2019 को ग्राम वास में अपने निवास पर हुई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा गणेशाराम पुत्र धरमाजी, जाति–कोली, निवासी– वास के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 700 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 28 दिनांक 24.5.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के ... वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:04:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 100/— रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 200/— रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप—खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप—खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही के पत्र क्रमांकःपंचायत/जांच/2019/418 दिनांक 13.8.2019 से प्रभारी अधिकारी (पंचायत), जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही को प्रेषित जांच रिपोर्ट तथा श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड़ व श्री शंकरलाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा प्रभारी अधिकारी (पंचायत), जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही के पत्र क्रमांकःपंचायत/जांच/2020/141—40 दिनांक 06.3.2020 के सन्दर्भ में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। श्री शंकरलाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर व श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड़ के उक्त जांच प्रतिवेदन में प्रश्नगत पट्‌टा खुली भूमि (open Land) का जारी किया जाना अंकित किया है, लेकिन जांच रिपोर्ट में प्रश्नगत पट्‌टा खुली भूमि का जारी होने का निष्कर्ष किस आधार पर दिया है, उसके संबंध में जांच प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार की कोई ठोस साक्ष्य का उल्लेख नही किया है। जबकि ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा वेलाराम पुत्र धरमाजी कोली, निवासी— वास को जारी पट्‌टे की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में गणेश धरमाजी का पुश्तैनी गृह होना अंकित है एवं प्रश्नगत पट्‌टा संख्या 28 में अंकित चतुर्दशी में भी दक्षिण दिशा में वेला पुत्र धरमाजी कोली का घर व उत्तर दिशा में चतरा भलाजी का गृह होना अंकित किया है। इससे यह संभावना है कि मौके पर पुराना गृह बना हुआ हो, जो जर्जर होने से ध्वस्त हो गया हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान बने हुए गृहों के पट्‌टे जारी किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांकःएफ. 139()परावि/विधि/नियम/मार्गदर्शन/ 2012/23 दिनांक 10.1.2013 में स्पष्ट किया गया है कि पुराने गृहों की परिधि में परिसर में विभिन्न उपयोग में आने वाली भूमि भी सम्मिलित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के अन्तर्गत 2700 [illegible] गृह एवं पुराने गृह की परिधि

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:04:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

में परिसर में स्थित उपयोग में आने वाली भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है एवं 2700 वर्गफीट से अधिक कब्जे वाली भूमि पर उक्त नियम 157(1)(ii) में वर्णित अनुसार बाजार दर से राशि वसूल करने का प्रावधान है।

चूंकि ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा गणेशाराम पुत्र धरमाजी कोली, निवासी– वास को 700 वर्गफीट भूमि का ही पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अविधिकता प्रतीत नही होती है। अतः विनम्र अभिमत में प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का निगरानी आवेदन सारहीन एवं बखूबी साबित नही होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01 जनवरी, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:04:49 IST
Reason: SelfAttested